



3

125

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प, भोपाल  
निगरानी- 6263/2018/रायसेन/भू.सं.

राजस्व निगरानी क्रमांक...../2018

श्री बजरंग आश्रम

लोधीपुरा उदयपुरा जिला रायसेन

द्वारा-अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह आत्मज श्री रामपालसिंह राजपूत

आयु वयस्क निवासी-उदयपुरा जिला-रायसेन म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

मुन्नीलाल (मृत दिनांक 19.10.2016)

द्वारा-विधिक प्रतिनिधि :-

1. रमेश कुमार लोधी आत्मज स्व.श्री मुन्नीलाल लोधी, वयस्क

2. हरिराम लोधी आत्मज स्व.श्री मुन्नीलाल लोधी, वयस्क

दोनों निवासी-लोधीपुरा, उदयपुरा तह. उदयपुरा जिला रायसेन

3. श्रीमती मोहनबाई पत्नी श्री महाराज सिंह लोधी, वयस्क

निवासी-ग्राम भोपतपुर तहसील उदयपुरा जिला रायसेन

4. म.प्र. शासन

द्वारा-जिलाध्यक्ष महोदय,

जिला-रायसेन म.प्र.

.....प्रतिउत्तरदातागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.संहिता 1959

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग-भोपाल (श्री राजेश जैन) द्वारा प्रकरण क्रमांक 501/अपील/12-13 (श्री बजरंग आश्रम विरुद्ध मुन्नीलाल) में पारित आदेश दिनांक 28.05.2018 से दुखी व असंतुष्ट होकर सत्य एवं विधि के ठोस बिन्दुओं पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है:-

*(Handwritten signature)*

285  
म.प्र. शासन  
भोपाल  
26/11/18



श्री राजेश जैन  
श्रीमान् राजस्व मण्डल  
ग.सं. 06/11/2018

श्री  
दुर्गेश सिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6369/2018/रायसेन/भू.रा.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 31-1-2019        | <p>आवेदक की ओर से श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 (2)(ख) के अंतर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।</p> <p><br/>२३१</p> <p><br/>अध्यक्ष</p> |  |